संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छठवी मंजिल, विन्ध्यांचल भवन, म0प्र0 भोपाल
फोन :--0755--2578491, फेक्स--2570122
E- rkvyhorti@mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 1/6/2020

क्रमांक/उद्यान/RKVY/2020-21/3552

प्रति,

उप/सहायक संचालक उद्यान,
जिला- भोपाल, राजगढ, सीहोर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नीमच, मंदसौर एवं आगरमालवा।

विषय:- आरकेव्हीवाय-रफ्तार अंतर्गत वर्ष 2019-20 में **"प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्ड"** परियोजना के शेष भौतिक-वित्तीय लक्ष्य को वर्ष 2020-21 के लिए जारी करने बावत।

संदर्भ:- संचालनालय का पत्र क्र/उद्यान/RKVY/2019-20/1388 भोपाल, दिनांक 10/02/2020

-----0----

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार अंतर्गत वर्ष 2019-20 में "प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पॉण्ड" परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भौतिक- वित्तीय लक्ष्य जारी किए गए थे। लक्ष्य की शतप्रतिशत पूर्ति नहीं होने से शेष बचे लक्ष्यों की पूर्ति वर्ष 2020-21 के लिए भौतिक-वित्तीय लक्ष्य आवंटित किए जाते है। परियोजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश फार्मर सब्सिडी ट्रेकिंग सिस्टम (MPFSTS) के माध्यम से किया जाना है। परियोजना क्रियान्वयन में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे:-

1. योजना में सभी वर्ग के कृषकों को लाभान्वित किया जावे।
2. प्रत्येक हितग्राही को योजना में एक ही बार लाभ देय होगा।
3. तालाब का आकार न्यूनतम 635 वर्ग मी. एवं अधिकतम 2642 वर्ग मी. के लिए अनुदान देय होगा।
4. कृषकों द्वारा तालाब (फॉर्म पॉण्ड) में बिछाई जाने वाली प्लास्टिक लाईनिंग शीट 500 माईक्रॉन Black PE शीट BIS मार्क (IS: 15351/IS:10889) की होना अनिवार्य होगा।
5. प्लास्टिक फिल्म 500 माईक्रॉन की पराबैगनी अवरोधी (Ultra Violet Stablish) एवं LDPE/HDPE मटेरियल से निर्मित होना चाहिए। BIS मार्क एवं निर्धारित मापदण्ड अनुसार प्लास्टिक लाईनिंग की प्रदायगी एवं बिछावन का कार्य एमपी एग्रो के माध्यम से किया जाएगा।
6. एमपी एग्रो के माध्यम से तालाब में पॉलीथीन शीट का बिछावन उनके प्रतिनिधी के मार्गदर्शन में कराया जावेगा। प्लास्टिक शीट जोड़ने की स्थिति बनने पर लीक प्रुफ सीलिंग का कार्य कराया जाएगा, जिससे संग्रहित जल का भूमि के अंदर रिसाव नहीं हो।
7. परियोजना के अंतर्गत तालाब (फॉर्म पॉण्ड) का आकार एवं तदानुसार प्लास्टिक लाईनिंग के आच्छादन का आकार निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार तालाब के प्लास्टिक शीट्स के बिछावन हेतु निर्धारित प्लास्टिक लाईनिंग शीट्स की आवश्यकता होगी। इसके अनुसार ही एमपी एग्रो द्वारा देयक प्रस्तुत किया जावेगा। कम मात्रा लगने की स्थिति में अनुपात (Prorata) अनुसार अनुदान की गणना की जाकर अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
8. कार्यादेश/आशय पत्र जारी करने के अधिकतम 15 दिवस के भीतर क्षेत्रीय ग्रा.उ.वि.अधि./वरि.उ.वि.अधि. भ्रमण कर निर्मित तालाब में उपयोग की गई प्लास्टिक फिल्म का एमपी एग्रो द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुसार सत्यापन करेंगे तथा कृषक से प्लास्टिक फिल्म की स्थिति के संबंध में परामर्शीय सेवा प्रदान करने के उपरांत **जियो- टेगिंग** की कार्यवाही करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान हितग्राही की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

D/Ajay/Bhaskar/R.K.V.Y./Word/Letter Repaired

9. जिला अधिकारी 01 माह में इस योजना के हितग्राहियों को लाभ पाने की स्थिति की समीक्षा मैदानी अमले के साथ पाक्षिक आधार पर करेंगे तथा जिला अधिकारी रेण्डम आधार पर जिले में भ्रमण कर योजना के हितग्राहियों से संपर्क कर योजना क्रियान्वयन की मैदानी स्थिति का आंकलन करेंगे एवं आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम उठायेंगे।

संलग्न- भौतिक वित्तीय लक्ष्य।

(पुष्कर सिंह)
आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ.क्रमांक/उद्यान/RKVY/2020-21/ 3553 भोपाल, दिनांक 1/6/2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, मालवीय नगर, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि संलग्न अनुसार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को एम.पी.एफ.एस.टी.एस. पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत- भोपाल, राजगढ, सीहोर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नीमच, मंदसौर एवं आगरमालवा।
3. संयुक्त संचालक उद्यान, संभाग- भोपाल एवं उज्जैन।

आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार वर्ष 2019-20 अंतर्गत प्लास्टिक लाईनिंग ऑफ फार्म पौंड के शेष भौतिक-वित्तीय लक्ष्य का वर्ष 2020-21 में आंवटन

क्र.	जिला	भौतिक (वर्ग मीटर)				वित्तीय (लाख में)			
		सामान्य	अजजा	अजा	योग	सामान्य	अजजा	अजा	योग
1	भोपाल	10572	0	0	**10572**	5.315	0.000	0.000	5.315
2	राजगढ	17093	10000	35000	**62093**	8.594	5.028	17.596	31.217
3	सीहोर	194161	10000	54920	**259081**	97.614	5.028	27.611	130.253
4	शाजापुर	28731	0	0	**28731**	14.445	0.000	0.000	14.445
5	देवास	160867	27358	55000	**243225**	80.876	13.754	27.651	122.281
6	रतलाम	11480	8667	18694	**38841**	5.772	4.357	9.398	19.527
7	नीमच	65000	10000	35000	**110000**	32.679	5.028	17.596	55.303
8	मंदसौर	65000	10000	35000	**110000**	32.679	5.028	17.596	55.303
9	आगरमालवा	8141	0	0	**8141**	4.093	0.000	0.000	4.093
	योग	**561045**	**76025**	**233614**	**870684**	**282.065**	**38.222**	**117.449**	437.736

आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल